तृतीय स्मरण पत्र

राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं

क्रमांक–एफ.6(758)स्टोर/बैज/ICDS/2017–18/ जयपुर, दिनांकः

समस्त उप निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
————————————।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2017–18 में आंगनबाडी एवं मिनी आंगनबाडी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को बैज उपलब्ध कराने बाबत।

सन्दर्भः– समसंख्यक पत्रांक 116473–505 दिनांक 28.07.2017, पत्रांक 170947–979, दिनांक 07.11.2017 एवं पत्रांक 13971–4003, दिनांक 19.01.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र द्वारा भारत सरकार के दिशा–निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु आंगनबाडी एवं मिनी आंगनबाडी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को मेटेलिक नेम बैज उपलब्ध कराये जाने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किये गये है। बैज हेतु प्रत्येक आंगनबाडी एवं मिनी आंगनबाडी कार्यकर्ता एवं सहायिका के लिए 25/– प्रति बैज के निर्धारित नॉर्म्स के अनुसार बजट राशि का आवंटन किया गया है। आंगनबाडी एवं मिनी आंगनबाडी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को बैज उपलब्ध कराये जाने के संबंध में दिये गये दिशा–निर्देश निम्नानुसार हैः–

1. भारत सरकार के दिशा–निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु प्रत्येक कार्यरत आंगनबाडी एवं मिनी आंगनबाडी कार्यकर्ता एवं आंगनबाडी सहायिका प्रत्येक को बैज उपलब्ध कराने हेतु प्रति बैज 25/– के हिसाब से जिलेवार बजट आवंटित किया गया है।
2. बैज क्रय हेतु राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (The Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012) एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 (The Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013) के प्रावधानानुसार समुचित निविदा प्रक्रिया अपनाते हुए उपापन की कार्यवाही करें।
3. आपके जिले में कार्यरत समस्त आंगनबाडी एवं मिनी आंगनबाडी कार्यकर्ता एवं सहायिका को निर्देशित करे कि वे आंगनबाडी केन्द्र पर केन्द्र संचालन के दौरान बैज का उपयोग यूनिफॉर्म के साथ किया जाना सुनिश्चित करें।
4. आंगनबाडी एवं मिनी आंगनबाडी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को बैज उपलब्ध करानें के पश्चात् **निर्धारित प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण–पत्र दिनांक 31–12–2017 तक** निदेशालय में आवश्यक रूप से भिजवाये जानें हेतु निर्देशित किया था। परन्तु आज दिनांक तक आप द्वारा निर्धारित प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण पत्र अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त उपयोगिता प्रमाण पत्र मय स्पष्टिकरण के अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

(शुचि शर्मा)
आयुक्त
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक–एफ.6(758)स्टोर/बैज/ICDS/2017–18/ 42673–96 जयपुर, दिनांकः 20-3-18

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय
3. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी ....
4. एसीपी, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु।

(रामावतार मीना)
प्रभारी अधिकारी (भण्डार)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर।